सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 55/2018

1. बलवीर सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ईईए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

अपीलार्थी

बनाम

1. मलकीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ईईए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

"अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार पदमपुर (भू.अ.) प्रार्थना पत्र बाबत् वसीयत दिनांक 06.05.2018 (वास्तविक तिथि 06.05.2015) के आधार पर दिनांक 02.07.2018 के आदेश एवं नामान्तरण सख्या 538 दिनांक 11.07.2018 पारित किया गया को निरस्त करवाने "

उपस्थित :

1.श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री तेजा सिंह सन्धू अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: **दिनांक :– 13.08.2019**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता बलदेव सिंह पुत्र केहर सिंह के नाम से वाके चक 5 ईईए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 75 के किला नम्बर 1 ता 18 कुल 4.554 हैक्टर रकबा खातेदारी दर्ज था। खातेदार बलदेव सिंह ने अपने जीवनकाल में एक अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 06.05.2015 निस्पादित किया था लेकिन पारिवारिक विवाद होने पर वसीयतनामा दिनांक 06.05.2015 को निरस्त कर नया वसीयतनामा दिनांक 12.09.2017 को गवाहान राजेश कुमार एवं रामजी की उपस्थिति में वाके चक 5 ईईए के मुरब्बा नम्बर 75 के किला नम्बर 1 ता 10 अपीलाण्ट के पक्ष में तथा 11 ता 18 रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निष्पादित किया था। खातेदार बलदेव सिंह की दिनांक 08.05.2018 को मृत्यु हुई। मृत्युपरांत रेस्पोडेण्ट सख्या 1 ने अन्तिम वसीयत के तथ्यों को छिपाते हुए पूर्व वसीयत जो निरस्तशुदा थी के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की गई। विधिनुसार प्रश्नगत् कृषि भूमि के कब्जे का अन्तरण चाहे खातेदार की मृत्युपरान्त विरास्तन हो अथवा किसी दस्तावेज के आधार पर मौके के कब्जे की जांच उपरान्त पंजीकृत अथवा अपंजीकृत दस्तावेज की सत्यता की जांच कर ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयत दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

06.05.2015 के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किये जाने का आदेश अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया है, मृतक खातेदार बलदेव सिंह की मृत्युपरांत मृतक बलदेव सिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीयों की जांच कतई नहीं की। विचारण न्यायालय ने मात्र अभिलेख की जांच की गई है जबकि प्रश्नगतृ कृषि भूमि पर मुरब्बा नम्बर 75 के किला नम्बर 1 ता 10 कुल 10.00 बीघा द्वितीययक वसीयत दिनांक 12.09.2017 के आधार पर अपीलार्थी काबिज है। निर्विवादित रूप से मृतक खातेदार बलदेव सिंह द्वारा दो वसीयत दिनांक 06.05.2015 तथा 12.09.2017 को निष्पादित की थी लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण प्रथम वसीयत के निरस्त कर द्वितीय वसीयत दिनांक 12.09.2017 के निष्पारिदत की थी जबकि कानूनन अन्तिम वसीयत ही लागू की जा सकती है। तथाकथित प्रथम वसीयत संदेहास्पद थी, चूंकि प्रथम वसीयत में केवल पुत्रीयों की हद तक विस्तारित किया गया था पुत्र के बारे में कुछ नहीं लिखा। द्वितीय एक प्रश्नगत् कृषि भूमि 18.00 बीघा में से 10.00 बीघा के ही रेस्पोडेण्ट को दी गई शेष बाबत् कुछ उल्लेखित नहीं किया। तृतीय प्रथम वसीयत दिनांक 06.05.2015 में वसीयतकर्ता की उम्र 70 वर्ष अंकित की गई जबकि द्वितीय वसीयत दिनांक 19.09.2017 में 89 वर्ष अंकित की गई है। संक्षिपक कार्यवाही में अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता बल्कि पीड़ित पक्षकार के वसीयत के जटिल कानूनी बिन्दु को साक्ष्य से सिद्व किये व उपरान्त ही सक्षम न्यायालय से खातेदारी प्राप्त कर सकता है। विशेषतः तब जब प्राथमिक रूप से वसीयत सन्देहास्पद व निर्वादित हों। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना विधि प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी जब पिता की मृत्यु के समस्त प्रकिया उपरान्त वसीयत दिनांक 12.09.2017 की पालना में हल्का पटवारी से मिला तो अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2018 को जानकारी हुई तब दिनांक 25.10.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया जो उसी रोज प्राप्त हुई दिनांक 26.10.2018 से 28.10.2018 तक सार्वजनिक तथा राजकीय अवकाश होने से आज यह अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का अलग से प्रस्तुत है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2018 व इसके आधार पर पारित नामान्तरण सख्या 538 दिनांक 11.07.2018 को निरस्त फरमाया जाकर विधिनुसार पुनः नये आदेश हेतु मामल प्रतिप्रेषित किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बलदेव सिंह अपीलांट का पिता था जिसकी मृत्यु दिनांक 09.05.2018 को हुई। अपीलांट के पिता ने दो वसीयत लिखी थी। प्रथम वसीयत 06.05.2015 का लिखी जो अनरजिस्टर्ड वसीयत थी जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम लिखी थी। द्वितीय वसीयत 12.09.2017 को लिखी गयी जो दोनो बेटो के पक्ष में लिखी जिसमें किला नम्बर 1 से 12 अपीलार्थी के नाम व 13 से 18 रेस्पोडेन्ट मलकीत सिहं के नाम लिखे हुए थे। रेस्पोडेन्ट ने द्वितीय वसीयत को छिपाते हुए प्रथम वसीयत के आधार पर इन्तकाल संख्या 538 खुलवाया। जिसमें रेस्पोडेन्ट मलकीत सिंह के 2.530 हैक्टर भूमि व मृतक के पिता बलदेव सिंह के नाम 2.024 हैक्टर भूमि दर्ज है । रेस्पोडेन्ट ने उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के विपरीत की है। उक्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विवादित इन्तकाल दर्ज करवाने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट की गई वह केवल रिकॉर्ड बाबत की गई वारिसान बाबत कोई रिपोर्ट नहीं की गई। मृतक के दो बेटे व तीन बेटिया थी। प्रथम वसीयत में वसीयत कर्ता की उम्र 70 वर्ष है जबकि द्वितीय वसीयत जो करीब दो वर्ष बाद ही की गई उसमें मृतक की उम्र 89 वर्ष। द्वितीय वसीयत जो दिनांक 12.09.2017 को लिखी गई जिसमें दोनो भाईयों के फोटो है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट मलकीत सिंह उक्त वसीयत से अनभिज्ञ नहीं है। यदि पहले से कोई वसीयत है तो दूसरी वसयीत होने पर पहली वसीयत स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। मियाद के सम्बन्ध में दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया। मियाद के बिन्दु पर अपीलार्थी के अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकते। उसमें विलम्ब के कारण बताये है।अतः अपील स्वीकार की जाकर भरे गये इन्तकाल संख्या 538 को खारिज किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने इस बाबत निम्न नजीरे पेश की है :–

1. **आर.आर.डी. 2011 पेज–646–649**
2. **आर.आर.डी. 2017 पेज– 1355–1358**
3. **ए.आई.आर 2018 पेज– 350–357 (पैरा 11 से 13)**
4. **डी.एन.जे.(राज.) 2003(3) पेज–1090–1093**

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील इन्तकाल सख्या 538 दिनांक 11.07.2018 के विरूद्व पेश की है जबकि मूल आदेश 02.07.2018 का है जिससे तहसीलदार ने हमारे नाम आदेश किया एंव उसके आधार पर इन्तकाल भरा गया। उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गयी। इन्तकाल आदेश दिनांक 02.07.2018 की पालना में खोला गया जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गयां। इन्तकाल 11.07.2018 को तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.07.2018 के आदेश की पालना में भरा गया है । अपीलांट के पिता की मृत्यु 21.05.2018 को हुई है जबकि अपील 30.10.2018 को की गयी इसलिए अपीलांट द्वारा की गई अपील Time Barred है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज होने योग्य है। यदि प्रथम वसीयत संदेहास्पद थी तो अपीलांट द्वारा कोई मुकदमा क्यों नही दर्ज करवाया गया। अपीलार्थी बलवीर सिंह जब विदेश गया उस समय यह तय हुआ था कि 10 बीधा जमीन रेस्पोडेन्ट मलकीत सिंह के नाम व शेष भूमि बलवीर सिंह पुत्र बलदेव सिंह के नाम रहेगी। अपीलार्थी द्वारा बाद में तैयार करवाई गई द्वितीय वसीयत संदेहास्पद है। तहसीलदार गैर पंजीकृत वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने का आदेश कर सकता है। अतः खारिज फरमाई जावें। अतः अपील अपीलार्थी मय हरजाना खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने इस बाबत निम्न नजीरे पेश की है :–

1. **आर.आर.डी. 1992 –पेज–360**
2. **आर.आर.डी 2018 –पेज– 509**

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्तो द्वारा की गई बहस पर मनन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा जो अपील पेश की है वह इन्तकाल संख्या 538 के विरूद्व पेश की है जबकि मूल आदेश 02.07.2018 का जिसके आधार पर तहसील पदमपुर द्वारा विवादित इन्तकाल संख्या 538 भरा है जिसे अपीलार्थी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी है। अपीलार्थी द्वारा अपील में तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 02.07.2018 को चुनौती न देकर इन्तकाल संख्या 538

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

11.07.2018 को चुनौती दी गयी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पदमपुर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर